रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 1989/कार्तिक 4, 1911
No. 693] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 1989/KARTIKA 4, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1989

का.आ. 854 (अ) : केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की निम्नलिखित पहायक कंपनियों अर्थात् रा.क.नि. (उ.प्र.) लि., रा.क.नि. (म.प्र.) लि., रा.क.नि. (ए.पी. के.के.एंड एस.) लि., रा.क.नि. (डब्ल्यू.बी.ए.बी.एंड ओ.) लि., रा.क.नि. (डी.पी.एंड आर.) लि., रा.क.नि. (टी.एन.एंड पी.) लि., रा.क.नि. (गुजरात) लि., रा.क.नि. (एम.एन.) लि., और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन से सम्बद्ध विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं,

और उक्त विवाद में राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है और यह विवाद ऐसी प्रकृति का है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अभिरुचि होने या इस विवाद से प्रभावित होने की संभावना है;

और भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्पेशल लीव अपील (सिविल) संख्या 1988 की 12730 (ए.एम.) (1988 की रिट याचिका सं. शून्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 7.10.88 के निर्णय तथा आदेश से) तथा 1987 की रिट याचिका संख्या 161 के साथ दिनांक 29.9.89 के अपने आदेश में निर्देश दिया है कि एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित किया जाए जो अपने गठन के पश्चात्, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में अधिमान्यतः 9 महीनों की अवधि के अंदर, यथा शीघ्र कार्यवाही समाप्त करेगा और अपने निष्कर्ष की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर उच्चतम न्यायालय को अपने निष्कर्षों की एक प्रति भेजेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार : –

(i) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा-7ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसका मुख्यालय बंबई में होगा और न्यायमूर्ति श्री एम.एस. जामवार को इसका पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है; और

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में औद्योगिक विवादों को उक्त राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए तथा उपरोक्त आदेश के अनुपालन में भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निष्कर्ष की एक प्रति भेजने के लिए निर्दिष्ट करती है।

अनुसूची

"रिट याचिकाएं संख्या 1987 की 161, 1987 की 1285, 1988 की 34, 1988 की 44, 1988 की 134, 1988 की 152, 1988 की 211, 1988 की 218, 1989 की 214, 1989 की 579, 1989 की 1073 और 1989 की 1074 में उठाए गए विवादों से संबंधित सभी मामले।"

[सं. एल-51016/2/89-आई.एंड ई. (एस. एस.)]

हीरक घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 25th October, 1989

S.O. 854 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that industrial disputes exist between the employers in relation to the following subsidiaries of the National Textile Corporation, namely, NTC (UP) LTD., NTC (MP) Ltd., NTC (APKK & M) Ltd., NTC (WBAB & O) Ltd., NTC (DP & R) LTD., NTC (TN & P) LTD., NTC (Guj) Ltd. and NTC (MN) Ltd. and the British India Corporation and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the said disputes involve a question of national importance and are of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such disputes ;

And whereas the Supreme Court of India in its order dated 29-9-1989 on the Petition for Special Leave to Appeal (Civil) No. 12730 of 1988 (AN) (from the judgment and order dated 7-10-88 of the High Court of Calcutta in writ petition No. Nil of 1988) in connection with the Writ Petition No. 161 of 1987 has directed that a National Industrial Tribunal be constituted which shall conclude the proceedings in relation to matters specified in the Schedule as expeditiously as possible, preferably within a period of 9 months after its constitution and remit a copy of its findings to the Supreme Court within a period of one month from the date of its findings;

Now, therefore, the Central Government —

(i) in exercise of the powers conferred by section 7B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), hereby constitutes a National Industrial Tribunal with headquarters at Bombay and appoints Justice Shri M. S. Jamdar as its Presiding Officer; and

(ii) in exercise of the powers conferred by sub-section (IA) of section 10 of the said Act hereby refers the industrial disputes in respect of the matters specified in the Schedule to the said National Industrial Tribunal for adjudication and remittance of a copy of its findings to the Supreme Court of India in compliance with the aforesaid order.

SCHEDULE

"All the matters relating to disputes raised in Writ Petitions Nos. 161 of 1987, 1285 of 1987, 34 of 1988, 44 of 1988, 134 of 1988, 152 of 1988, 211 of 1988, 218 of 1988, 214 of 1989, 579 of 1989, 1073 of 1989 and 1074 of 1989."

[No. L-51016|2|89-I&E (SS)]

HIRAK GHOSH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989